


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937

No. 202]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015 / JYAISTHA 13, 1937

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

सं. डीई-130-2014.—दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय दंत्य परिषद एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 29 जून, 2007 के मौजूदा मूल भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007 में निम्न संशोधन करती है:

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन

- (i) इन विनियमों को भारतीय दंत्य परिषद (विविध) (पहला संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. "भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007" में क्रम संख्या 14 पर निम्न निरीक्षण क्रियाविधि सन्निविष्ट की जाएगी:

"14. निरीक्षणों के लिए क्रियाविधि

- (i) निरीक्षण सर्वथा गोपनीय होना चाहिए।
- (ii) समूचा निरीक्षण अनिवार्यतः वीडियोग्राफ होना चाहिए और साथ ही कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाना चाहिए।
- (iii) परिषद के निरीक्षकों/परिदर्शकों को, किसी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार में प्रवृत्त पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई के संबंध में प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर अवश्य करने होंगे।
- (iv) यदि किसी संकाय द्वारा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और कानूनी/दाण्डिक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

- (v) दंत्य कालेजों को अपनी कमियों के अनुपालन के संबंध में सामान्यतः एक मौका दिया जाना चाहिए।
- (vi) रक्षा सेवाओं के जो डाक्टर, सक्रिय अध्यापक हैं उन्हें भी परिषद के निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।”

कर्मल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./98/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम तथा 'भारतीय दंत्य परिषद (विविध) विनियम, 2007' भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में दिनांक 29 जून, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित हुए थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2015

No. DE-130-2014.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Dental Council of India (Miscellaneous) Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 29th June 2007:-

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the **Dental Council of India (Miscellaneous) (1st Amendment) Regulation, 2015.**
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In “Dental Council of India (Miscellaneous) Regulation, 2007”, the following inspection procedure, shall be inserted at serial number 14:-

“14. **Procedure of DCI Inspections**

- (i) The inspection should be strictly confidential.
- (ii) The whole inspection **necessarily** be video-graphed and also be viewed by the Executive Committee.
- (iii) The Council inspectors/visitors must sign an undertaking with regard to legal/criminal action against him/her if found indulge in any kind of corrupt practices.
- (iv) If any false affidavit is submitted by any faculty, action would be initiated for cancellation of his/her registration and legal/criminal action may also be initiated.
- (v) The dental colleges should normally be given one opportunity for compliance in respect of their deficiencies.
- (vi) Doctors from the Defence Services those are active teachers should also be appointed as Council's Inspectors.”

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Offg. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./98/14]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Dental Council of India (Miscellaneous) Regulation, 2007” were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 29th June, 2007.